

महाराष्ट्र 5-7
दि 15/12/23

जयपुर विकास प्राधिकरण

इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

क्रमांक: जविप्र/जनसम्प/2023/बी-177 दिनांक: 14.09.2023

आम सूचना

निम्न योजनाओं के आवेदकों द्वारा अपनी सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.jda.rajasthan.gov.in एवं जोन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस संबंध में आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 7 (सात) दिवस में मध्य दस्तावेज संबंधित उपायुक्त जोन कार्यालय में प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	जोन	ब्लॉक संख्या /आवारा संख्या	गु. नि. स. स. लि. / योजना का नाम	आवेदक
1	12	258	आनन्द लोक द्वितीय योजना, जविप्र, लीजडीड से प्रीहोल्ड लीजडीड हेतु	श्री विपिन कुमार टंडन पुत्र श्री मोलानाथ टंडन
2	पीआरएन वक्षिण द्वितीय	04	सुन्दर नगर योजना, बस्ती सीतारामपुरा-बी गु. नि. स. स. लि., लीजडीड हेतु	तरुण जैन
3	पीआरएन उत्तर प्रथम	67	शयोनाथपुरी योजना, बुनियादी विकास गु. नि. स. स., प्रीहोल्ड पट्टे हेतु	श्रीमती सन्तोष देवी पत्नी श्री सुरेन्द्र
4	पीआरएन उत्तर प्रथम	4-ए	श्री करणी विहार-बी योजना, महाराणा प्रताप गु. नि. स. स., प्रीहोल्ड पट्टे हेतु	श्री राम सिंह डिसानिया पुत्र श्री नाथूलाल डिसानिया
5	पीआरएन उत्तर प्रथम	168	जनक विहार योजना, रामराजपुरा गु. नि. स. स., प्रीहोल्ड पट्टे हेतु	श्रीमती कैलाशी देवी पत्नी श्री ओम प्रकाश मीणा
6	11	49	श्री कृष्ण वाटिका योजना, निजी खातेवारी, लीजहोल्ड से प्रीहोल्ड पट्टे हेतु	श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री अनूप सिंह
7	07	214	नेमी नगर विस्तार योजना, तोपखाना देश गु. नि. स. स., लीजडीड हेतु	श्री रविचंद्र रावत पुत्र श्री बाबूलाल गुप्ता
8	पीआरएन वक्षिण द्वितीय	29	शिव वाटिका-ए योजना, रामनगर गु. नि. स. स. लि., लीजडीड हेतु	मांगीलाल

लोक सूचना

क्र. सं.	जोन	भू. सं. / खसरा नं.	ग्राम का नाम	खातेदार
1	13	445, 478, 479, 936/477, 941/491, 944/492, 947/446, 949/449, 444	ग्राम मोदू का बास, आमेर, जयपुर में भूमि का इंफ्रास्ट्रक्चर व वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स प्रयोजन के उपयोग हेतु	मैसर्स जयपुर सेरेमिक प्रो. लि., जयपुर डाइरेक्टर उदय परनामी पुत्र श्री अशोक परनामी
2	05	326/325	ग्राम सुशीलपुरा, जयपुर में भूमि का आवासीय/फार्म हाउस प्रयोजन के उपयोग हेतु	श्री महेंद्र कुमार अग्रवाल पुत्र श्री इंद्रलाल अग्रवाल
3	13	6515	ग्राम अचरोल, आमेर, जयपुर में भूमि का पर्यटन इकाई प्रयोजन के उपयोग हेतु	श्री सुमित सिंह पुत्र श्री हरमीत सिंह

सचिव

सार्वजनिक नोटिस

क्रमांक: जविप्र/जोन-14/2023/बी-2297 दिनांक: 14.09.2023

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 200 फीट चौड़ी (डिग्री रोड से रोहिणी नगर होते हुये टॉक रोड को जोड़ने वाली) सेक्टर सड़क व व्यावसायिक पट्टी में आ रही भूमि ग्राम रेनवाल तहसील माधोराजपुरा के ख. नं. 3120/2 रकबा 1.0116 हेक्ट. में से 3883.67 च.मी. में खातेदार कैलाश, चिरंजीलाल, रामकुमार पुत्रान नानुराम उर्फ नानूरा एवं नाथूराम, बाबूलाल, रामदयाल, रामफूल उर्फ फुलाराम पुत्रान रामचन्द्र द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जोन-14 कार्यालय में 07 दिवस में मध्य समुचित संबंधित दस्तावेजात आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

सचिव

सार्वजनिक नोटिस

क्रमांक: जविप्र/जोन-11/सेक्टर रोड/2023/बी-2603 दिनांक: 14.09.2023

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 60 मीटर चौड़ी सड़क सेक्टर रोड में आ रही भूमि राजस्व ग्राम पंचालिया, पटवार हल्का पंचालिया, भू.अभि. नि. क्षेत्र मुहाना, तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 717 रकबा 0.8300 हेक्ट. कुल किता 1 कुल रकबा 0.8300 हेक्ट. भूमि के बदले खातेदार श्री सुरेश पुत्र स्व. श्री किशनलाल, निवासी कुमावतों की डाणी, ग्राम कपुरावाला, सांगानेर, जयपुर एवं श्रीमती मांगी देवी पत्नी श्री किशनलाल निवासी ग्राम पंचालिया, तहसील सांगानेर, जयपुर (राज.) द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया उपायुक्त जोन-11 के कार्यालय में 07 दिवस में मध्य समुचित संबंधित दस्तावेजात आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

सचिव

सार्वजनिक नोटिस

क्रमांक: जविप्र/उपा./जोन-14/2022/बी-2296 दिनांक: 14.09.2023

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 100 फीट चौड़ी जोनल प्लान सड़क में आ रही भूमि राजस्व ग्राम रामसिंहपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 2271/2331 रकबा 2.9100 हेक्ट. में से 0.7027 हेक्ट. अर्थात् 7027.00 च.मी. भूमि के खातेदार श्री रामकरण, रामकिशन, शिवनारायण पुत्रान श्री मूल्या उर्फ मूलचन्द द्वारा जयपुर प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जोन-14 कार्यालय में 07 दिवस में मध्य समुचित संबंधित दस्तावेजात आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

सचिव

सार्वजनिक नोटिस

क्रमांक: जविप्र/उपा./जोन-11/2022/बी-2600 दिनांक: 14.09.2023

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 60 मीटर चौड़ी सड़क सेक्टर रोड में आ रही भूमि राजस्व ग्राम रेनवाल तहसील माधोराजपुरा के खसरा नम्बर 435 रकबा 0.4046 हेक्ट. में से रकबा 0.2781 हेक्ट. ख. नं. 436 रकबा 0.2180 हेक्ट. ख. नं. 437 रकबा 0.3667 हेक्ट. कुल किता 3 कुल रकबा 0.8598 हेक्ट. के खातेदार श्री कानाराज पुत्र श्री देवाराम, श्री जगदीश पुत्र श्री देवाराम, श्री रामधन पुत्र श्री देवाराम, श्री हनुमान पुत्र श्री देवाराम, सुप्यार पुत्री श्री देवाराम, प्रेनवेदी पुत्री श्री देवाराम, श्री नाथूलाल पुत्र श्री कल्याण, श्री रामकिशोर पुत्र श्री कल्याण निवासी ग्राम रेनवाल, तहसील माधोराजपुरा द्वारा जयपुर प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जोन-11 कार्यालय में 07 दिवस में मध्य समुचित संबंधित दस्तावेजात आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

सचिव

दैनिक प्रातःकाल
 दिनांक 15/9/22 पृष्ठ सं. 3

आम सूचना

निम्न योजनाओं को आवेदकों द्वारा अपनी सम्पत्ति को पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.jda.rajasthan.gov.in एवं जोन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस संबंध में आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 7 (सात) दिवस में मय दस्तावेज सम्बंधित जयपुर जोन कार्यालय में प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	जोन	भू.सं./खसरा सं.	प्लान का नाम	आवेदक
1	12	250	आमच लोक द्वितीय योजना, जयपुर, लीजडीब से डीहोल्ड लीजडीब हेतु	श्री विजय कुमार टंडन पुत्र श्री भोजानाथ टंडन
2	पीआरएन स्वच्छ द्वितीय	04 बी 1	सुन्दर नगर योजना, बरती सीतारामपुरा-बी	तारुण जैन
3	पीआरएन उत्तर प्रभाग	87	रघोनाथपुरी योजना, मुनिवादी विकास प.नि.स.स., डीहोल्ड पट्टे हेतु	श्रीमती सन्तोष देवी पत्नी श्री सुरेश
4	पीआरएन उत्तर प्रभाग	4 ए	श्री करणी विहार बी योजना, महाराणा प्रताप प.नि.स.स., डीहोल्ड पट्टे हेतु	श्री राम सिंह किसानिया पुत्र श्री माधुलाल किसानिया
5	पीआरएन उत्तर प्रभाग	100	जनक विहार योजना, रामराजपुरा प.नि.स.स., डीहोल्ड पट्टे हेतु	श्रीमती कैलाशी देवी पत्नी श्री ओम प्रकाश गीणा
6	11	40	श्री गणेश माटिका योजना, निजी खातोवारी, लीजडीब हेतु	श्री गणेश सिंह पुत्र स्व. श्री अजय सिंह
7	07	214	नेमी नगर निरंतर योजना, तोपखाना वेश प.नि.स.स., लीजडीब हेतु	श्री रमित रावत पुत्र श्री बाबेलाल गुप्ता
8	पीआरएन स्वच्छ द्वितीय	20	शिव माटिका ए योजना, रामनगर प.नि.स.स.स., लीजडीब हेतु	मां गीसाल

लोक सूचना

क्र. सं.	जोन	प्लान सं./खसरा सं.	ग्राम का नाम	खातेदार
1	13	445,476,478, 830/477, 941/491, 944/492, 947/446, 949/449,444	ग्राम मोदू का बास, आमेर, जयपुर में भूमि का विकास प्रयोजन के उपयोग हेतु	श्रीराम जयपुर सेरेमिक प्रो. लि., जयपुर डाइरेक्टर उदय परानी पुत्र श्री अशोक परानी
2	05	320/325	ग्राम सुरीलपुरा, जयपुर में भूमि का आवासीय/कार्म हाउस प्रयोजन के उपयोग हेतु	श्री गणेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री इंदरलाल अग्रवाल
3	13	6515	ग्राम अचरोल, आमेर, जयपुर में भूमि का पर्यटन विकास प्रयोजन के उपयोग हेतु	श्री सुमित सिंह पुत्र श्री हरमोल सिंह

सचिव

सार्वजनिक नोटिस

क्रमांक: जयपुर/जोन-14/2022/डी.डी. 2297 दिनांक: 14.09.2022

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 200 फीट चौड़ी (डिग्री रोड़ से रोहिणी नगर होते हुये टॉक रोड़ को जोड़ने वाली) सेक्टर सड़क व व्यावसायिक पट्टी में आ रही भूमि ग्राम रेनवाल तहसील माधोराजपुरा के ख.नं. 3120/2 रकबा 1.0116 हेक्टर में से 883.67 व.मी. में खातेदार कैलाश, चिरंजीलाल, रामकुमार पुत्रान नानुराम उर्फ नानुडा एवं नाथूराम, बाबूलाल, रामदयाल, रामकुल उर्फ फुलाराम पुत्रान रामचन्द्र द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

इसी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्वामन/वाद/विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जोन-14 कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहे।

सचिव

सार्वजनिक नोटिस

क्रमांक: जयपुर/जोन-11/सेक्टर रोड़/2022/डी.डी. 2603 दिनांक: 14.09.2022

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 60 मीटर चौड़ी सड़क सेक्टर रोड़ में आ रही भूमि राजस्व ग्राम पंचायतिया, पटवार हल्का पंचायतिया, भू.अभि.नि. क्षेत्र मुहाना, तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 717 रकबा 0.8300 हेक्टर, कुल किता 1 कुल रकबा 0.8300 हेक्टर, भूमि के बदले खातेदार श्री सुरेश पुत्र स्व. श्री किशनलाल, निवासी कुमावतों की ढाणी, ग्राम कपूरवाला, सांगानेर, जयपुर एवं श्रीमती गौरी देवी पत्नी श्री किशनलाल निवासी ग्राम पंचायतिया, तहसील सांगानेर, जयपुर (राज.) द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

इसी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्वामन/वाद/विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया उपयुक्त जोन-11 के कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहे।

सचिव

सार्वजनिक नोटिस

क्रमांक: जयपुर/जोन-14/2022/डी.डी. 2296 दिनांक: 14.09.2022

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 100 फीट चौड़ी जोनल प्लान सड़क में आ रही भूमि राजस्व ग्राम पंचायतपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 2271/2331 रकबा 2.0100 हेक्टर, में से 0.7027 हेक्टर, अर्थात् 7027.00 व.मी. भूमि के खातेदार श्री रामकरण, रामकिशन, शिवनारायण पुत्रान श्री मूलानन्द द्वारा जयपुर प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

इसी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्वामन/वाद/विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जोन-14 कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहे।

सचिव

सार्वजनिक नोटिस

क्रमांक: जयपुर/जोन-11/2022/डी.डी. 2600 दिनांक: 14.09.2022

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 60 मीटर चौड़ी सड़क सेक्टर रोड़ में आ रही भूमि राजस्व ग्राम रेनवाल तहसील माधोराजपुरा के खसरा नम्बर 435 रकबा 0.4046 हेक्टर, में से रकबा 0.2781 हेक्टर, ख.नं. 436 रकबा 0.2150 हेक्टर, ख.नं. 437 रकबा 0.3997 हेक्टर, कुल किता 3 कुल रकबा 0.8599 हेक्टर, के खातेदार श्री कानाराय पुत्र श्री देवाराम, श्री जयदीप पुत्र श्री देवाराम, श्री रामधन पुत्र श्री देवाराम, श्री हनुमान पुत्र श्री देवाराम, सुधार पुत्री श्री देवाराम, प्रमोदती पुत्री श्री देवाराम, श्री माधुलाल पुत्र श्री कल्याण, श्री रामकिशन पुत्र श्री कल्याण निवासी ग्राम रेनवाल, तहसील माधोराजपुरा द्वारा जयपुर प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

इसी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्वामन/वाद/विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जोन-11 कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहे।

सचिव